"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मार्च 2020 — फाल्गुन 21, शक 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–36/2019/17–1.— मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 121 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त षक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्द्वारा, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम
अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2020 कहलायेंगे।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10);

(ख) **"प्रपत्र"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रपत्र;

(ग) **"नशा–मुक्ति सुविधा केन्द्र"** अथवा किसी अन्य नाम से प्रचलित कोई संस्थान से अभिप्रेत है ऐसा स्थान, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (त) के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की परिभाषा में है तथा जहाँ व्यक्तियों का मदिरा तथा/अथवा अन्य दवाईयों के दुरूपयोग करने या उन पर आश्रित होने पर निदान/उपचार/देखभाल किया जाता है;

(घ) **"गैर–शासकीय सदस्य"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के खण्ड (छ) से (ढ) के अन्तर्गत नामांकित राज्य प्राधिकरण के सदस्य;

(ङ) **"नियम"** से अभिप्रेत है राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के नियम;

(च) **"धारा"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं अथवा यथास्थिति, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) में परिभाषित हैं, जहाँ तक कि वे अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या यथास्थिति, उन अधिनियमितियों में उनके लिये समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

3. **राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों का नामांकन.**– (1) राज्य शासन, अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप मे स्वास्थ्य विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव को नामांकित करेगा।

(2) राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रभारी संयुक्त/उप–सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक, चिकित्सा शिक्षा के संचालक तथा समाज कल्याण विभाग के संयुक्त/उप सचिव को क्रमशः अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के खंड (ख),(ग) और (घ) के अधीन राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नामांकित करेगा।

(3) राज्य शासन, गृह, वित्त और विधि विभाग के ऐसे व्यक्तियों को, जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से निम्न के न हों तथा संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नामांकित करेगा।

(4) राज्य शासन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो धारा 52 की उप–धारा (1) के अधीन उप सचिव से निम्न श्रेणी का न हो, को नियुक्त करेगा तथा जो अधिनियम की धारा 53 के अधीन यथा उल्लिखित सभी कार्यों का निष्पादन करेगा।

4. **राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों के चयन हेतु मानक.**– किसी भी व्यक्ति का चयन, राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्य के रूप में नहीं किया जायेगा, जब तक कि–

(एक) वह भारतीय नागरिक न हों;

(दो) उसकी आयु 67 वर्ष से अधिक न हो; और

(तीन) नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव न रखता हो।

5. **राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों की योग्यता और अनुभव.**– (1) राज्य शासन, अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नामांकित करेगा जो एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हो।

(2) राज्य शासन, एक मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, एक मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, एक नैदानिकी मनोवैज्ञानिक और एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स/मनोचिकित्सा परिचारिका को, जिनके पास उनके संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो और जो राज्य प्राधिकरण में मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, को अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज),(झ),(ण) और (ट) के अधीन क्रमशः राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा।

(3) राज्य शासन, अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के खण्ड (ठ), (ड) और (ढ) के अधीन क्रमशः राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग से दो व्यक्तियों को नामांकित करेगा, अर्थात्:–

(एक) ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं/थे;

(दो) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति अथवा देखभाल करने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन; और

(तीन) गैर–शासकीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जिनके द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

6. **राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करना.**– राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों के पद हेतु रिक्तता का कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी के और एक स्थानीय भाषा के), जिनका प्रसार राज्य में अधिक हो, मुक्त विज्ञापन का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा यह विज्ञापन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध होना चाहिये।

7. **राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों के नामांकन हेतु चयन समिति.**– राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों के नामांकन हेतु चयन समिति, अध्यक्ष, जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा नामांकित होंगे, से मिलकर बनेगी।

8. **राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों के नामांकन हेतु प्रक्रिया.**– (1) नियम 7 के अधीन गठित चयन समिति, विभाग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी तथा ऐसे आवेदनों की छानबीन करेगी, जो अधिनियम की धारा 46 और इन नियमों के नियम 4 एवं 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं।

(2) अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, चयन समिति, राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में चयनित किये जाने हेतु आवेदकों की उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेगी:

परन्तु नियम 5 के उप–नियम (3) के अधीन नामांकित व्यक्तियों के मामले में, उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास मानसिक अस्वस्थता वाले व्यक्तियों के उपचार के संबंध में दस वर्ष का अनुभव हो।

(3) राज्य शासन, चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों को राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा।

9. **राज्य प्राधिकरण के गैर–शासकीय सदस्यों का पदावधि और भत्ते.**– (1) नियम 8 के अधीन नामांकित प्रत्येक गैर–शासकीय सदस्य, अपने नामांकन की तारीख के समय से तीन वर्ष की अवधि हेतु अपना पद धारण करेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्रत्येक गैर–शासकीय सदस्य बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्तो के हकदार होंगे जो कि राज्य शासन के आयोग एवं समितियों के गैर–शासकीय सदस्यों को इस प्रकार के आयोग या समिति की बैठक में सम्मिलित होने हेतु लागू हों।

10. **जानकारी प्रस्तुत करना.**– राज्य शासन, यथास्थिति, समय समय पर अथवा उसके द्वारा आवश्यक होने पर, राज्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड की गतिविधियों से संबंधित जानकारी मंगा सकेगा तथा यथास्थिति, ऐसी राज्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड, ऐसी जानकारी को प्रपत्र–क में प्रस्तुत करेगा।

अध्याय–तीन

मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की योग्यता

11. **मनोचिकित्सक होने की पहचान.**– राज्य शासन, अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (म) के अधीन किसी चिकित्सा अधिकारी की मनोचिकित्सक के रूप में पहचान करेगा।

12. **नैदानिक मनोचिकित्सक तिथा मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता के लिये योग्यता.–** (1) नैदानिक मनोचिकित्सक हेतु योग्यतायें अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन होगी, शासकीय सेवा में नियोजन के प्रयोजन हेतु, अधिनियम की धारा 121 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन आगे की योग्यता, राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अध्यधीन होगी।

(2) मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता हेतु योग्यतायें, अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (भ) के अधीन होगी, शासकीय सेवा में नियोजन के प्रयोजन हेतु, अधिनियम की धारा 121 की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन आगे की योग्यता, राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अध्यधीन होगी।

अध्याय–चार
राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का अनंतिम पंजीयन

13. **राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अनंतिम पंजीयन हेतु प्रक्रिया.–** केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार, द्वारा अधिसूचित किये जाने पर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिये न्यूनतम मानकों को (यथोचित संशोधनों के साथ) अधिसूचित किया जायेगा–

(1) केन्द्र शासन के नियंत्रण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को छोड़कर, राज्य के प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का पंजीयन, राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, राज्य प्राधिकरण में अनंतिम पंजीयन हेतु प्रपत्र–ख में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसमें यथा विनिर्दिष्ट विवरणों के साथ ही अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में पाँच हजार रूपये के शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न होगा, जो उस स्थान में देय होगा, जहाँ राज्य प्राधिकरण स्थित है।

(3) मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को अधिनियम की धारा 65 तथा 66 में यथा विनिर्दिष्ट समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, राज्य प्राधिकरण, संतुष्ट होने पर, ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को प्ररूप–ग में अनंतिम पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

14. **पंजीयन प्रमाणपत्र की वैधता और नवीनीकरण.–** नियम 13 के उप–नियम (3) के अधीन प्रदत्त अनंतिम पंजीयन प्रमाणपत्र की वैधता, ऐसी स्वीकृति की तारीख से बारह माह की अवधि के लिये होगी तथा ऐसे

प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि की समाप्ति की तारीख के पूर्व तीस दिन के अन्दर प्ररूप–ख में ऐसे प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार होंगेः–

10 बिस्तर या कम के लिए देय शुल्क रू. 5000, 11–50 बिस्तर के लिए देय शुल्क रू. 10,000 तथा 51 और उससे अधिक बिस्तर के लिए शुल्क रू. 20,000 अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, ऐसे स्थान में, जहाँ राज्य प्राधिकरण स्थित है, देय होगा तथा स्थायी पंजीयन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होगा।

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगाः–

10 बिस्तर या कम के लिए देय शुल्क रू. 5000, 11–50 बिस्तर के लिए देय शुल्क रू. 10,000 तथा 51 और उससे अधिक बिस्तर के लिए शुल्क रू. 20,000 अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, ऐसे स्थान में, जहाँ राज्य प्राधिकरण स्थित है, देय होगा।

15. **प्रमाणपत्र की छायाप्रति जारी करना.**– जहाँ किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को जारी पंजीयन प्रमाणपत्र नष्ट या गुम या खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो राज्य प्राधिकरण, ऐसे संस्थान द्वारा आवेदन के साथ दो हजार रूपये के शुल्क अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, उस स्थान में देय, जहाँ राज्य प्राधिकरण स्थित है, संलग्न कर प्रस्तुत करने पर, प्रमाणपत्र की छायाप्रति जारी करेगा।

16. **डिजिटल रजिस्टर का अनुरक्षण.**– (1) सभी पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का श्रेणीवार रजिस्टर प्रपत्र–घ में, अधिनियम की धारा 71 और 55 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल प्रारूप में राज्य प्राधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।

(2) सभी पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का श्रेणीवार रजिस्टर प्रपत्र–ङ में, अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (1) के खण्ड (घ) के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल प्रारूप में राज्य प्राधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।

(3) मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकरियों के पंजीयन हेतु आवेदन, प्रपत्र–च में, तीन हजार रूपये के शुल्क, अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में, डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, उस स्थान में देय, जहाँ राज्य प्राधिकरण स्थित है, संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रपत्र–छ, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पदाधिकारियों को जारी किये जाने वाले पंजीयन प्रमाणपत्र हेतु प्रपत्र है। जारी पंजीयन प्रमाणपत्र, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का

10) में दी गई शर्तों और इसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन होगा तथा इसकी वैधता, इसके जारी होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए होगी और अवधि की समाप्ति के एक माह पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(5) अधिनियम की अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति होने में प्राधिकरण, प्रचलित विधियों, मानकों, नियमों और विनियमों का ध्यान रखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के रजिस्टर, अग्रिम निर्देशों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आदि के सृजन एवं ऑनलाईन प्रचालन के संबंध में समय–समय पर तत्संबंधी ऑनलाईन डाटाबेस या पोर्टल हेतु विनियम या अधिसूचना जारी करेगा।

अध्याय–पांच
वित्त, लेखा एवं लेखा–परीक्षा

17. **राज्य प्राधिकरण का लेखा और लेखा–परीक्षा.**– (1) राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष से संबंधित अपनी आय एवं व्यय के लेखे का अनुरक्षण करेगा तथा आय एवं व्यय तथा तुलन पत्र संबंधी लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) लेखों का वार्षिक विवरण, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर विहित सामान्य लेखा प्रारूप में प्रतिवर्ष 30 जून से पूर्व अथवा जैसी भी परिस्थिति हो, लेखा–परीक्षा (ऑडिट) हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन तैयार किये गये लेखों के वार्षिक विवरण पर लेखा प्रभारी अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर किया जायेगा और इसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

18. **राज्य प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन.**– (1) राज्य प्राधिकरण, अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–ज में तैयार करेगा तथा उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन में पिछले वर्ष के दौरान राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों का सम्पूर्ण लेखा दिया जायेगा और उसमें वर्ष की लेखा–परीक्षित लेखाओं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की उस पर रिपोर्ट शामिल होगी।

अध्याय–छः
मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की लेखा–परीक्षा (आडिट), निरीक्षण और जांच

19. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की लेखा–परीक्षा (ऑडिट).– (1) राज्य प्राधिकरण, राज्य में पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगा कि ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का पालन करती है, अर्थात्:–

(क) उस जिले के जिला कलेक्टर या जिला आयुक्त के प्रतिनिधि, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है;

(ख) राज्य के राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है;

(ग) मनोरोग चिकित्सक, जो शासकीय सेवा में हैं;

(घ) मनोरोग चिकित्सक, जो निजी प्रैक्टिस करते हैं;

(ङ) मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, जो मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं;

(च) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत गैर–शासकीय संगठन के प्रतिनिधि;

(छ) मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल करने वाले अथवा देख–भाल करने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के प्रतिनिधिगण; और

(ज) ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधिगण, जो मानसिक रोगी हैं अथवा जो मानसिक रोग से पीड़ित थे।

(2) पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की लेखा–परीक्षा के लिए, राज्य प्राधिकरण, निम्नानुसार शुल्क प्रभारित करेगा;

10 बिस्तर या उससे कम के लिए रू. 5000 का शुल्क, 11 से 50 बिस्तर के लिए रू. 10,000 का शुल्क और 51 या उससे अधिक बिस्तर के लिए रू. 20,000 का शुल्क देय होगा, जिसका भुगतान अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उस स्थान में देय होगा, जहाँ प्राधिकरण स्थित है।

20. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण और जांच.– (1) राज्य प्राधिकरण, अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का अनुपालन न करने के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत के आधार पर या स्व–प्रेरणा से अथवा इसके किसी प्रावधान के उल्लंघन की दशा में, किसी मानसिक स्वास्थ्य

संस्थान का निरीक्षण या जांच, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किये जाने का आदेश जारी कर सकता है, अर्थात्:–

(क) शासकीय सेवा में कार्यरत कोई मनोरोग चिकित्सक;
(ख) निजी प्रैक्टिस कर रहा कोई मनोरोग चिकित्सक;
(ग) मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, जो मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं;
(घ) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी गैर–शासकीय संगठन के प्रतिनिधि;
(ड.) पुलिस थाना के प्रभारी पुलिस अधिकारी, जिनके अधिकार क्षेत्र के अधीन उक्त मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित हैं;
(च) जिले के जिला कलेक्टर या जिला आयुक्त के प्रतिनिधि, जहां मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है।

(2) राज्य प्राधिकरण अथवा उप–नियम (1) के अधीन उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यदि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण हो कि कोई व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का संचालन पंजीयन के बिना, कर रहा है अथवा अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम् मानकों का पालन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है अथवा अधिनियम के किसी प्रावधानों या इसके अधीन निर्मित नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश तथा जांच कर सकेगा।

(3) जांच के दौरान, राज्य प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के मानसिक स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा राज्य प्राधिकरण के पंजीयन से संबंधित मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा और इस प्रकार के दस्तावेज को प्रस्तुत करना मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के लिए बाध्यता होगी।

(4) उप–नियम (3) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की जांच पूर्ण होने के दो दिन के भीतर, ऐसी जांच के निष्कर्षों की लिखित रिपोर्ट, प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

(5) उप–नियम (4) के अधीन लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.

प्रपत्र– क

(नियम 10 देखिये)

राज्य प्राधिकरण/बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी

1.	अधिसूचित नये विनियम	
2.	वर्ष के दौरान पारित आदेशों की संख्या	
3.	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	
4.	राज्य शासन के नियंत्रण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या और विवरण	
5.	राज्य या संघ शासित क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या और विवरण	
6.	राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का पंजीयन	
7.	केन्द्र सरकार और राज्य शासन से प्राप्त संदर्भो का विवरण और उन पर की गई कार्रवाई	
8.	राज्य शासन के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न प्रकारों के लिए गुणवत्ता और सेवा प्रदाय मानक	
9.	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के प्रावधानों और क्रियान्वयन के बारे में कानून प्रवर्तन पदाधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य पदाधिकारियों सहित लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना	
10.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीयन हेतु प्राप्त, स्वीकृत तथा अस्वीकृत, अस्वीकृत किये जाने के कारण सहित, आवेदन	
11.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के लेखा–परीक्षण, लेखा–परीक्षा रिपोर्ट सहित	
12.	मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन संबंधी प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई	
13.	मेडिकल प्रैक्टिशनरों और मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के दिशा–निर्देश दस्तावेज संबंधी विवरण	
14.	कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 22 अधीन कार्यस्थल पर, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के संबंध में पंजीकृत प्रकरणों की संख्या और उनका विवरण	

15.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण और जांच का विवरण	
16.	प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय मे दायर अपीलों की संख्या और उनकी स्थिति	
17.	सेवाओं के प्रदाय में कमी के संबंध में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई	
18.	पदाधिकारियों (स्टॉक होल्डर) से परामर्श	
19.	प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा आरंभ की गई जांच	
20.	प्रशासनिक एवं संस्थान संबंधी मामले	
21.	बैलेंस शीट, आय एवं व्यय लेखा आदि सहित बजट और लेखा विवरणः	
22.	कोई अन्य तत्संबधी जानकारीः	

प्रपत्र–ख

(नियम 13 (2) तथा 14 देखिये)

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अनंतिम पंजीयन/अनंतिम पंजीयन नवीनीकरण की स्वीकति हेतु आवेदन

सेवा में,

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन

महोदय/महोदया,

मैं / हम ..... नामक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अनंतिम पंजीयन/स्थायी पंजीयन / अनंतिम पंजीयन के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ/हैं, अर्थात् ऐसे अस्पताल/नर्सिंग होम की स्थापना/अनुरक्षण हेतु मेरे/हमारे पास वैध लाईसेंस/पंजीयन उपलब्ध है। ऐसे अस्पताल/नर्सिंग होम का विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदक(कों) का नाम .....
2. लाइसेंस जारी करने की तिथि सहित जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करते हुए लाइसेंस का विवरण : .....
3. आयु : .....
4. मनोरोग चिकित्सा में व्यावसायिक अनुभव : .....
5. आवेदक का स्थायी पता : .....
6. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का स्थान : .....
7. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का पता : .....
8. प्रस्तावित आवास :
   (क) कमरों की संख्या : .....
   (ख) बिस्तरों की संख्या : .....
   (ग) प्रदत्त सुविधाएं : .....
   (घ) बाह्य रोगी : .....
   (ड.) आपातकालीन सेवाएं : .....

(च) अंतः रोगी सुविधाएं : .....

(छ) व्यावसायिक और मनोरंजन की सुविधाएं : .....

(ज) ई सी टी सुविधाएं (एन एक्स–रे सुविधाएं) : .....

(झ) मनोवेज्ञाविक जाँच सुविधाएं : .....

(ञ) परीक्षण (जाँच) और लैब सुविधाएं : .....

(ट) उपचार सुविधा हेतु स्टॉफ पद्धति : .....

स्टॉफ प्रणाली –

(क) डॉक्टरों की संख्या : .....

(ख) नर्सों की संख्या : .....

(ग) सहायकों की संख्या : .....

(घ) अन्य : .....

मैं आवेदन शुल्क के रूप में ..... के पक्ष में रू. ..... की राशि का बैंक ड्राफ्ट एतद्द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर रहा/रही हूं।

मै एतद्द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता/देती हूं।

मैं आपसे मेरे आवेदन पर विचार करने और मनोरोग चिकित्सा अस्पताल/ नर्सिंग होम की स्थापना/अनुरक्षण हेतु लाइसेंस प्रदाय की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक .....

प्रपत्र–ग

(नियम 13 (3) देखियें)

अनंतिम पंजीयन/अनंतिम पंजयीन के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 65 (2) अथवा धारा 66 (3) अथवा धारा 66 (10) के अधीन ..... द्वारा प्रस्तुत आवेदन, दिनांक ..... पर विचार करने के उपरान्त राज्य प्राधिकरण, एतद्द्वारा, नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार धारा 66 (4) अथवा धारा 66 (11) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हेतु आवेदक को अनंतिम पंजीयन/अनंतिम पंजीयन का नवीनीकरण प्रदान करता हैं :

नाम : .....

पता : .....

बिस्तरों की संख्या :.....

जारी अनंतिम पंजीयन प्रमाणपत्र, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) और इसके अधीन सृजित नियमों और विनियमों में यथा उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा तथा इसके जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए मान्य होगी और इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

स्थान : पंजीयन प्राधिकारी

दिनांक : पंजीयन प्राधिकरण की मुहर

प्रपत्र– घ

(नियम 16 देखिये)

मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का रजिस्टर (डिजिटल प्रारूप में)

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक सारणी .....

स. क्र.	आवेदक का नाम व पता	संस्थान का नाम व पता	आवेदन की तारीख	पंजीयन की तारीख एवं विवरण	बिस्तरों की संख्या	टिप्पणियां

प्रपत्र– ड.

(धारा 55 (1) (घ) देखिये)

मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का रजिस्टर (डिजिटल प्रारूप में)

मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक सारणी .....

स. क्र.	आवेदक का पूरा नाम व पता	डिग्री/पी.जी	आर सी आई / एन सी आई/अन्य	प्रैक्टिस/ कार्य का स्थान	संपर्क नंबर/ ईमेल	टिप्पणियां

❖ मनोरोग चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ताओं का पंजीयन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अनुसार किया जायेगा।

प्रपत्र– च

(नियम 16 (3) देखिये)

मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का पंजीयन/पंजीयन के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन

सेवा में,

मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छ.ग.शासन

महोदय/महोदया,

मैं ..... के नाम से मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में पंजीयन/पंजीयन के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ :–

1. आवेदक का नाम : .....
2. संबंधित विशेषज्ञता' (आरसीआई/एनसीआई) में अर्हक डिग्री के पंजीयन का विवरण ..... (प्रतिलिपि संलग्न)
3. आयु : .....
4. मनोरोग चिकित्सा में व्यावसायिक अनुभव : .....
5. आवेदक का स्थायी पता : .....
6. व्यवसाय का कार्यस्थल : .....
7. शैक्षणिक योग्यता : .....

मैं आवेदन शुल्क के रूप में ..... के पक्ष में रू. .....की राशि का बैंक ड्रॉफ्ट एतद्द्वारा प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

मैं मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं मेरे इस आवेदन पर विचार करने और छत्तीसगढ़ राज्य में मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में व्यवसाय करने हेतु पंजीयन की मंजूरी प्रदाय करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं।

भवदीय/भवदीया
हस्ता./–
नाम
दिनांक

* मनोरोग चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यह लागू नहीं है।

प्रपत्र– छ

(नियम 16 (4) देखियें)

अनंतिम पंजीयन/अनंतिम पंजीयन के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 55(1) (घ) के अधीन .... द्वारा प्रस्तुत आवेदन, दिनांक ..... पर विचार करने के उपरांत राज्य प्राधिकरण, एतद्द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी श्रेणी (वर्ग) ..... के रूप में आवेदक को पंजीयन/पंजीयन का नवीनीकरण प्रदान करता है।

पंजीयन क्र. .....

नाम :.....

पता : .....

इस पंजीयन प्रमाण पत्र को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) और इसके अधीन सृजित नियमों एवं विनियमों में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है और इसके जारी होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए यह वैध रहेगी तथा इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा।

स्थान : ..... पंजीयन प्राधिकारी

दिनांक : ..... पंजीयन प्राधिकारी की मुहर

प्रपत्र–ज

(नियम 18 (1) देखिये)

राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

1. प्रस्तावना,
2. प्राधिकरण के सदस्यों की विवरणिका,
3. विनियम का क्षेत्र,
4. नये विनियम/प्रकियाएं आदि, अधिसूचित/जारी,
5. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश,
6. वर्ष के दौरान आयोजित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठकें,
7. राज्य शासन के नियंत्रण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
8. राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
9. राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का पंजीयन
10. केंद्र सरकार और राज्य शासन से प्राप्त अभिनिर्देशों का विवरण और उन पर की गई कार्यवाही,
11. केंद्र सरकार और राज्य शासन को भेजे गये अभिनिर्देशों का विवरण और संबंधित सरकार/शासन द्वारा उन पर की गई कार्यवाही
12. राज्य शासन के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न प्रकारों के लिए गुणवत्ता एवं सेवा प्रदाय मानक,
13. राज्य शासन के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कमियों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही,
14. कानून प्रवर्तन पदाधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य पदाधिकारियों सहित व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के प्रावधानों और कियान्वयन के बारे में प्रदत्त प्रशिक्षण,
15. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत, ऐसे अस्वीकृत किये जाने के कारण सहित,
16. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की लेखा–परीक्षा,
17. मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाही,
18. मेडिकल प्रैक्टिशनरों और मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज के संबंध में विवरण,
19. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) का कियान्वयन,
20. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 22 के अधीन कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के संबंध में विवरण,

21. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण एवं जांच,
22. प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील और उनकी स्थिति,
23. प्राधिकरण के अग्रिम दिशा–निर्देशों और अनुशंसाओं के प्रयोग की समीक्षा की स्थिति,
24. सेवाओं के प्रदाय में कमियों के विषय में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाही,
25. प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई जांच,
26. प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी मामले,
27. वार्षिक लेखा,
28. कोई अन्य विषय, जिन पर प्राधिकरण की राय में प्रकाश डाले जाने की आवश्यकता है।

Atal Nagar, the 2nd March 2020

NOTIFICATION

No. F 1-36/2019/17-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Government of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the administration of State Mental Health Establishment, namely:-

RULES

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2020.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules; unless the context otherwise requires -

(a) "**Act**" means the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017);

(b) "**Form**" means a Form appended to these rules;

(c) **'De-addiction facility'** or called by any other name means a place 'which qualifies the definition of Mental Health Establishment as per clause (p) of sub-section

(1) of Section 2 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017) and where persons to have abuse or dependence on alcohol and/or other drugs are diagnosed/ treated/ cared for;

(d) "**Non-official member**" means a member of the State Authority nominated under clauses (g) to (n). of sub-section (1) of Section 46 of the Act;

(e) "**Rules**" means rules of the State Mental Health Authority of Chhattisgarh;

(f) "**Section**" means Section of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or, as the case may be, in the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) or in the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act or, as the case may be, in those enactments.

CHAPTER II
STATE MENTAL HEALTH AUTHORITY

3. **Nomination of non-official members of State Authority.** (1) The State Government shall nominate Secretary or Principal Secretary in the Department of Health as Chairperson of the State Authority under clause (a) of sub-section (1) of Section 46 of the Act.

(2) The State Government shall nominate Joint/Deputy Secretary in charge of mental healthcare in the Department of Health, the Director of Health Services, Director of Medical Education and

Joint/Deputy Secretary in the Department of Social Welfare, as ex-officio members of the State Authority respectively under clauses (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 46 of the Act.

(3) The State Government shall nominate persons, not below the rank of Joint Secretary in the Departments of Home, Finance and Law and Director, Health & Family Welfare to be ex-officio members of State Authority under clause (e) of sub-section (1) of Section 46 of the Act.

(4) The State Government shall appoint Chief Executive Officer, not below the rank of Deputy Secretary under sub-section (1) of Section 52 and who shall execute all functions as mentioned under Section 53 of the Act.

4. **Norms for selection of non-official members of State Authority.-** A person shall not be selected as a non-official member of State Authority unless, he-

(i) is an Indian National;
(ii) is of the age not exceeding sixty-seven years;
(iii) Possesses qualification and experience as specified in rule 5.

5. **Qualification and experience of non-official members of State Authority.** – (1) The State Government shall nominate one person who is an eminent psychiatrist as a member of the State Authority under clause (g) of sub-section (1) of Section 46 of the Act.

(2) The State Government shall nominate one mental health professional, one psychiatric social worker, one clinical psychologist and one mental health nurse/psychiatric nurses,

having a minimum of fifteen years' experience in their respective fields and registered as mental health professionals with the State Authority, as members of the State Authority respectively under clauses (h), (i), (o) and (k) of sub-section (1) of Section 46 of the Act.

(3) The State Government shall nominate two persons each from the following categories as members of the State Authority respectively under clauses (l), (m) and (n) of sub-section (1) of Section 46 of the Act, namely: -

(i) persons representing persons who have or have had mental illness;

(ii) persons representing care-givers of persons with mental illness or organizations representing care-givers; and

(iii) persons representing non-governmental organizations which provide services to persons with mental illness.

6. **Invitation of application for the posts of non-official members of State Authority.** - A vacancy for the post of non-official member of the State Authority shall be given wide publicity through open advertisement in at least two daily newspapers (one English and one Local Language) having wide circulation in the State and the advertisement shall also be made available on the website of the Department of Health and Family Welfare.

7. **Selection Committee for nomination of non-official members of State Authority.** - The Selection Committee for nomination of non-official members of the State Authority shall consist of a Chairperson who shall be the Chairperson of the State

Authority, Director Health and Family welfare and Chief Executive Officer, State Mental Health Authority, nominated by the State Government of Chhattisgarh.

8. **Procedure for nomination of non-official members of State Authority.-** (1) The Selection Committee constituted under rule 7 shall consider all applications received by the Department and scrutinize such applications which fulfill the requirements of Section 46 of the Act and rule 4 and 5 of these rules.

(2) The Selection Committee shall, having regard to the provisions of the Act and these rules, decide about the suitability of the applicants for being selected as members of the State Authority:

Provided that in case of persons to be nominated under sub-rule (3) of rule 5, preference shall be given to the persons with ten years of experience in dealing with persons with mental illness.

(3) The State Government shall nominate the persons selected by the Selection Committee as members of the State Authority.

9. **Terms of office and allowances of non-official members of State Authority.** – (1) Every non-official member nominated under rule 8 shall hold his office for a term of three years at a time from the date of his nomination.

(2)Every non-official member attending the meeting of the State Authority shall be entitled to sitting allowance, travelling allowance, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official members of the Commissions and

Committees of the State Government attending the meeting of such Commission or Committee.

10. **Furnishing of information.-** The State Government may call for information concerning the activities of the State Authority or the Board periodically or as and when required by it and the State Authority or the Board, as the case may be, shall furnish such information in Form-A.

CHAPTER-III

QUALIFICATION OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS

11. **Recognition to be psychiatrist**.- The State Government shall recognize any Medical Officer as Psychiatrist under clause (y) of sub-section (1) of Section 2 of the Act.

12. **Qualifications for Clinical Psychologist and Psychiatric Social Worker .**- (1) The qualifications for Clinical Psychologist shall be as under clause (g) of sub-section (1) of Section 2 of the Act, subject to notification by the State Government for further qualification under clause (a) of sub-section (3) of Section 121 of the Act, for the purpose of employment in Government service.

(2) The qualifications for Psychiatric Social Worker shall be as under clause (x) of sub-section (1) of Section 2 of the Act, subject to notification by the State Government for further qualification under clause (b) of sub-section (3) of Section 121 of the Act, for the purpose of employment in Government service.

CHAPTER IV

PROVISIONAL REGISTRATION OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS BY STATE AUTHORITY

13. **Procedure for provisional registration of mental health establishments by State Authority.** – Minimum norms for Mental Health Establishment will be notified (with appropriate modifications) by the State Mental Health Authority, Government of Chhattisgarh once the Central Mental Health Authority, Government of India notifies the same-

(1) Every mental health establishment in a State, except the mental health establishment under the Control of the Central Government, shall be registered with the State Authority.

(2) Every mental health establishment referred to in sub-rule (1) shall submit an application for provisional registration to the State Authority in Form-B, containing details as specified therein, along with a fees of rupees five thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the State Authority is situated.

(3) The State Authority shall, on being satisfied that the mental health establishment fulfils all the requirements as specified in Section 65 and 66, grant to such mental health establishment, a provisional registration certificate in Form-C.

14. **Validity and renewal of certificate of registration.** - The provisional registration certificate granted under sub-rule (3) of

rule 13 shall be valid for a period of twelve months from the date of such grant and an application for renewal of such certificate shall be made in Form-B within thirty days before the date of expiry of the period of validity of such certificate.

The registration and renewal fees shall be as under:-

Less than or equal to 10 bedded- shall pay fees of Rs. 5000, 11-50 bedded shall pay fees of Rs. 10000 and 51 and above bedded shall pay fees of Rs. 20,000 by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the State Authority is situated and for permanent registration within the specified period.

The mental health establishment shall pay fees as under:-

Less than or equal to 10 bedded- shall pay fees of Rs. 5000, 11-50 bedded shall pay fees of Rs. 10000 and 51 and above bedded shall pay fees of Rs. 20,000 by way of a demand draft drawn in favor of the Chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the State Authority is situated.

15. **Issue of duplicate certificate.** - Where a certificate of registration granted to a mental health establishment is destroyed or lost or mutilated or damaged, the State Authority may issue a duplicate certificate on an application made by such establishment along with fees of rupees two thousand by way of a demand draft drawn in favor of the Chairperson, State

Mental Health Authority payable at the place where the State Authority is situated.

16. **Maintenance of digital register.-** (1) A category-wise register in **Form-D** of all registered mental health establishments shall be maintained by the State Authority in digital format in accordance with the provisions of Section 71 and 55.

(2) A category-wise register in **Form-E** of all registered mental health professionals shall be maintained by the State Authority in digital format in accordance with the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 55 of the Act.

(3) For application for Registration of Mental Health Professionals along with fees of rupees three thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, State Mental Health Authority in **Form-F** payable at the place where the State Authority is situated.

(4) **Form-G** is the format for registration certificate issued to the professionals by the State Mental Health Authority. The registration certificate issued, is subject to the conditions laid down in the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017) and the rules and regulations made there under and shall be valid for a period of ten years from the date of its issue and can be renewed before one month of the expiry with the prescribed fees.

(5) In fulfillment of the requirement of the Act, the Authority shall issue regulation or notification with regards to creating and operating online, register of mental health professionals, advanced directives, mental health establishment etc. by taking

into account the current laws, standards, rules and regulations for such online databases or portal from time to time.

CHAPTER V
FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

17. **Accounts and audit of State Authority**. – (1) The State Authority shall maintain accounts of its income and expenditure relating to each year and prepare an annual statement of accounts consisting of income and expenditure account and the balance sheet.

(2)Annual statement of accounts shall be submitted for audit not later than 30th June of each year in the common accounting format prescribed from time to time by the Ministry of Finance for the central autonomous bodies or as nearer thereto as the circumstances admit.

(3)The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall be signed on behalf of the State Authority by the officer in-charge of accounts and the Chief Executive Officer and shall be approved by the State Authority.

18. **Annual report of the State Authority.** –(1) The State Authority shall prepare its annual report in **Form-H** and forward it to the State Government within nine months of the end of the financial year for being laid before each House of State Legislature.

(2) The annual report shall give a full account of the activities of the State Authority during the previous year and shall include the audited accounts of the year and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

CHAPTER-VI

AUDIT, INSPECTION AND ENQUIRY OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS

19. **Audit of Mental Health Establishments**.-(1) The State Authority shall, for the purpose of conducting audit of registered mental health establishments in the State, authorize one or more of the following persons to ensure that such mental health establishments, comply with the minimum standards specified under the Act, namely:-

(a) A representative of the District Collector or District Commissioner of the district where the mental health establishment is situated;

(b) A representative of the State Human Rights Commission of the State where the mental health establishment is situated;

(c) A psychiatrist who is in Government service;

(d) A psychiatrist who is in private practice;

(e) A mental health professional who is not a psychiatrist;

(f) A representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;

(g) Representatives of the care-givers of persons with mental illness or organizations representing care-givers; and

(h) Representatives of the persons who have or have had mental illness.

(2) For conducting audit of registered mental health establishment, the State Authority shall charge fees as follows:

Less than or equal to 10 bedded- shall pay a fee of Rs. 5000, 11-50 bedded shall pay fees of Rs. 10000 and 51 and above bedded shall pay fees of Rs. 20,000 way of a demand draft drawn in favor of the Chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the Authority is situated.

20. **Inspection and inquiry of mental health establishments. –** (1) The State Authority may, suo-motu or on a complaint received from any person with respect to non-adherence of minimum standards specified by or under the Act or on contravention of any provision thereof, order an inspection and inquiry of any mental health establishment, to be made by one or more of the following persons, namely:-

(a) a psychiatrist in Government service;
(b) a psychiatrist in private practice;
(c) a mental health professional who is not a psychiatrist;
(d) a representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;
(e) a police officer in charge of the police station under whose jurisdiction, the mental health establishment is situated;
(f) a representative of the District Collector or District Commissioner of the district where the mental health establishment is situated.

(2)The State Authority or the person authorized by it under sub-rule (1), if it has reasons to, believe that a person is

operating a mental health establishment without registration or is not adhering to the minimum standards specified by or under the Act or has been contravening any of the provisions, of the Act or the rules and regulations made there under, enter and search such mental health establishment will be done.

(3) During search, the State Authority or the person authorized by it may require the mental health professional in charge of the mental health establishment to produce the original documents relating to its registration with the State Authority and it shall be obligatory on the part of the mental health establishment to, produce such documents.

(4) Within two days of completing search of the mental health establishment under sub-rule (3), a written report of the findings of such search shall be submitted to the Chairperson of the Authority.

(5)The Chairperson of the State Authority, shall, on receipt of the written report under sub-rule (4), take such action as it deems fit, against the defaulting mental health establishment in accordance with the provisions of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. R. PARSANNA, Special Secretary.

FORM-A

(See rule 10)

INFORMATION ON THE ACTIVITIES OF THE STATE AUTHORITY/ BOARD

1.	New Regulations notified	
2.	Number of orders passed during the year	
3.	Meetings held during the year	
4.	Number and details of mental health establishments under the control of the State Government	
5.	Number and details of mental health establishments in the State or Union Territory	
6.	Registration of mental health professionals by the State Authority	
7.	Statement on references received from the Central Government and the State Government and action taken thereon	
8.	Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the State Government	
9.	Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017)	
10.	Applications for registration of mental health establishments received accepted and rejected along with reasons for such rejection:	

11.	Audit of Mental Health Establishments along with audit reports	
12.	Complaints received regarding violation of rights of mentally ill persons and action taken thereon	
13.	Details regarding guidance document for medical practitioners and mental health professionals	
14.	Number of cases registered regarding Sexual Harassment of Women at Workplace under Section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No.14 of 2013) and details thereof	
15.	Details of inspection and inquiry of Mental Health Establishments	
16.	Number of appeals to High Court against order of Authority and status thereof	
17.	Complaints received regarding deficiencies in provision of services and action taken thereon	
18.	Stakeholders Consultations	
19.	Inquiry initiated by the Authority/Board	
20.	Administration and establishment matters	
21.	Budget and Accounts with details including balance sheet, income and expenditure account, etc.	
22.	Any other matter which may be relevant	

FORM-B

[See rules 13(2) and 14]

APPLICATION FOR GRANT OF PROVISIONAL REGISTRATION RENEWAL OF PROVISIONAL REGISTRATION OF A MENTAL HEALTH ESTABLISHMENT

To,
The State Mental Health Authority,
The Department of Health and Family Welfare,
Government of Chhattisgarh.

Dear Sir/ Madam,

I/we intend to apply for grant of provisional registration/ permanent registration/ renewal of provisional registration for the Mental Health Establishment namely ..... of which I am/we are holding a valid license /registration for the establishment/ maintenance of such hospital / nursing home. Details of the hospital/nursing home are given below:

1. Name of applicants .....
2. Details of license with reference to the name of the authority issuing the license and date: .....
3. Age:.....
4. Professional experience in Psychiatry: .....
5. Permanent address of the applicant:.....
6. Location of the proposed hospital/nursing home: .....
7. Address of the proposed nursing home/hospital: .....
8. Proposed accommodations:
   (a) Number of rooms: .....
   (b) Number of beds: .....
   (c) Facilities provided: .....

(d) Out-patient: .....

(e) Emergency services: .....

(f) In-patient facilities: .....

(g) Occupational and recreational facilities: .....

(h) ECT facilities (n X-Ray facilities): .....

(i) Psychological testing facilities: .....

(j) Investigation and laboratory facilities: .....

(k) Treatment facilities staff pattern: .....

Staff Pattern

(a) Number of doctors: .....

(b) Number of nurses: .....

(c) Number of attendees: .....

(d) others: .....

I am herewith sending a bank draft for Rs..... drawn in favor of .....as application fee.

I hereby undertake to abide by the rules and regulation of the Mental Health Authority.

I request you to consider my application and grant the license for establishment/maintenance of psychiatric hospital/ nursing home.

Yours faithfully

Signature

Name .....
Dated .....

FORM-C

[See rule 13(3)]

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION/ RENEWAL OF PROVISONAL REGISTRATION

The State Authority, after considering the application dated .....submitted by .....under Section 65 (2) or Section 66 (3) or Section 66(10) of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), hereby accords provisional registration/ renewal of provisional registration to the applicant mental health establishment in terms of Section 66 (4) or section 66 (11), as per the details given hereunder:

Name: ----------

Address ----------

No of beds: ----------

The provisional registration certificate issued is subject to the conditions laid down in the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017) and the rules and regulations made there under and shall be valid for a period of twelve months from the date of its issue and can be renewed.

Place

Dated

Registration Authority

Seal of the Registration Authority

FORM-D

(See rule 16)

REGISTER OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS (IN DIGITAL FORMAT)

Separate table for each category of mental health establishment

Category----------

Sl. No	Name & address of the applicant	Name of the establishment and address	Date of the application	Date and particulars of registration	No. of beds	Remarks

FORM-E

See Section 55 (1) (d)

REGISTER OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS

(IN DIGITAL FORMAT)

Separate table for each category of mental health professionals

Category of Mental Health Professionals ----------

Sl No	Full Name & address of the applicant	Degree/PG	RCI/NCI/others*	Place of practice/ work	Contact Number / Email	Remarks

*the Psychiatric Social Workers will be registered as the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), shall prescribed.

FORM-F

[See rules 16(3)]

APPLICATION FOR GRANT OF REGISTRATION / RENEWAL OF REGISTRATION OF A MENTAL HEALTH PROFESSIONAL

To,
The Mental Health Authority,
The Department of Health & Family Welfare,
Government of Chhattisgarh

Dear Sir/ Madam,

I intend to apply for grant of registration/ renewal of registration for the Mental Health Professionals namely .....

1. Name of applicants .....
2. Details of Registration of qualifying degree in respective specialties* (RCI / NCI) (copy attached): .....
3. Age: .....
4. Professional experience in Psychiatry: .....
5. Permanent address of the applicant: .....
6. Location/s of the Practice:
7. Qualifications (copies attached): .....

I am herewith sending a bank draft for Rs..... drawn in favour of .....as application fee. I hereby undertake to abide by the rules and regulation of the Mental Health Authority.

I request you to consider my application and grant the registration for the Mental Health Professional to practice in Chhattisgarh State.

Yours faithfully

Signature
Name
Dated

*this is not applicable for Psychiatric Social Worker

FORM-G

[See rule 16(4)]

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION/ RENEWAL OF PROVISONAL REGISTRATION

The State Authority, after considering the application dated .....submitted by .....under Section 55 (1) (d) of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), hereby accords registration/renewal of registration to the applicant, as mental health professionals category.....

Registration No: ----------

Name: ----------

Address ----------

The registration certificate issued is subject to the conditions laid down in the Mental Health care Act, 2017 (10 of 2017) and the rules and regulations made there under and shall be valid for a period of ten years from the date of its issue and can be renewed.

Place

Dated

Registration Authority

Seal of the Registration Authority

FORM-H
[See rule 18 (1)]

ANNUAL REPORT OF STATE AUTHORITY

1. Introduction
2. Profile of the Authority's Members
3. Scope of Regulation
4. New Regulations/proceduresetc. notified/issued
5. Orders passed by the Authority
6. Meetings of the State Mental Health Authority held during the year
7. Mental health establishments under the control of the State Government
8. Mental health establishments in the State
9. Registration of mental health professionals by the State Authorities
10. A statement on references received from Central and State Governments and action taken thereon
11. A statement on references sent to the Central and State Governments and action taken thereon by the respective Governments
12. Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the State Government
13. Supervision of mental health establishments under the State Government and action taken on the complaints received about deficiencies in provision of services therein
14. Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017)

15. Applications for registration of mental health establishments received accepted and rejected along with reasons for such rejection.

16. Audit of Mental Health Establishments

17. Complaints received regarding violation of rights of Mentally ill persons .and action taken thereon

18. Details regarding guidance document for medical practitioners and mental health professionals

19. Implementation of RTI Act, 2005 (No. 22 of 2005)

20. Details regarding Sexual Harassment of Women at Workplace under Section 22 of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No. 14 of 2013).

21. Inspection and Inquiry of Mental Health Establishments

22. Appeals to High Court against order of Authority and status thereof

23. Status of review of use of advance directives and recommendations of the Authority in respect thereof.

24. Complaints received about deficiencies in provision of services and action taken thereon.

25. Inquiry initiated by the Authority

26. Administration and establishment matters

27. Annual Accounts

28. Any other-matter which in the opinion of the Authority needs to be highlighted

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.